न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण कमांक ..../2015 पुनरीक्षण R- 3272/I/2015

श्री दिवाकर दीक्षित एड.
द्वारा आज दि. 7-10-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-10-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित एड.
7-10-15

① दिनेश पुत्र श्री अशोक जाट, आयु— 26 वर्ष, व्यवसाय— कृषि, निवासी— कुआ खेड़ी, तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0)

② गजेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह

③ शारदा बाई प0 मनोज पता उपरोक्त ....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शसन द्वारा कलेक्टर, जिला— विदिशा (म0प्र0)
2. तहसीलदार, तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0)
3. गोरे लाल पुत्र श्री संदेर सिंह, जाति मैना, निवासी— कुआ खेड़ी, तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0)
4. मनोज अहिरवार उर्फ चिकला पुत्र श्री रेवाराम, निवासी— कुआ खेड़ी, तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0)
5. श्रीमती फूल वाई पत्नि स्व0 श्री प्रहलाद, जाति सेन, निवासी— कुआ खेड़ी, तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0)

............अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता, विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2013, प्रकरण कमांक 20, (अ)– 68/12–13 द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार, तहसील व जिला विदिशा जिसके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर 1,000/– रूपये की धनराशि अधिरोपित कर अतिकमण का प्रकरण समाप्त किया गया।

आवेदक की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है, इसके पूर्व किसी भी न्यायालय में अथवा और कहीं आवेदक द्वारा कोई पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत नहीं की गई, न ही निरस्त हुई और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3272–एक/15 **जिला** – बिदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.11.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार जिला बिदशा द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ–68/12–13 में पारित आदेश दिनांक 25.3.13 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिताकहा जायेगा) की धारा 50 के तह्त पेश की गयी है । 2– यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अतिकमण हटाये जाने की अनुमति दिये जाने बावत प्रार्थना पत्र पर प्रारंभ हुआ है । जो आवेदन आवेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं उसमें यह उल्लेख किया गया था कि अनावेदक कमांक–3 लगायत 5 ने आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की आराजी कमांक 237/1 रकवा 1.210 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है एवं गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह एवं 1/4 शारदा वाई पत्नि अशोक जो कि ग्राम कुआं खेडी प0ह0 न0 76 तहसील बिदिशा मुख्य सडक पर स्थित है । और सड़क मार्ग पर अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 ने अतिकमण कर टपरे डालकर होटल, दुकान बना ली है, जिससे आवेदक को अपनी भूमि पर आने जाने में काफी परेशानी होती है। इसलिये अतिकमण को हटाये जाना आवश्यक है, उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् विचारकर माना है। कि अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 द्वारा अतिकमण किया गया है, इसलिये अतिकामक पर 1000/– रूपये की राशि अधिरोपित कर अतिकमण का प्रकरण समाप्त किया गया है, उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया गयाकि विवादित भूमि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्व की भूमि है, यह भूमि मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है । मुख्य मार्ग पर अनावेदक कमांक –3 लगायत 5 ने अतिकमण कर टपरे बना लिये गये है जिससे वहां पर गुजरने वाले सभी व्यक्तियोंके आवागमन में काफी कठनाई होती है। ऐसा आवेदन अधिनस्थ न्यायालय के	

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचार करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया कि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, हटाने के निर्देश के साथ–साथ अतिक्रमणकारियों पर 1000/– हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, किन्तु उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया है ऐसी स्थिति अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश स्पष्ट रूप से अनावेदक कमांक 2 तहसीलदार बिदिशा को दिये जाये तथा आवेदक की वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाये । मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि आवेदक द्वारा जो आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था । उसमें उल्लेख किया था कि मुख्य सड़क मार्ग पर आवेदक की कृषि भूमि स्थित है इसी मार्ग से आवेदक एवं अन्य लोगों को आवागमन होता है, जिसपर अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 ने अतिक्रमण कर टपरे बना लिये है, जिससे आवेदक एवं अन्य लोगों को आवागमन प्रभावित हुआ है, और तहसीलदार द्वारा एक हजार का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है, इस प्रकार अतिक्रमण प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बिदिशा को निर्देशित किया जाता है कि वह एक माह में अतिक्रमण हटायें । इस निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य